परियोजना या स्कीम की अवस्थितिः– जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत सिमली चूलाकोट मोटर मार्ग के किमी0 5 से स्वर्का बैण्ड से हरिजन बस्ती राजस्व ग्राम कलाकोट होते हुए बनियास तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य।

(i) राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	उत्तराखण्ड
(ii) जिला	चमोली
(iii) जिला वन प्रभाग	बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।
(iv) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानी वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र	
2– पूर्वेक्षण के लिए पहचानी गई नई वन भूमि की विधिक प्रस्थिति	0.595 है0 सिविल सोयम भूमि,
3– अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वनभूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा–	संलग्न।
(i) वन का प्रकार	सिविल सोयम भूमि,
(ii) वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व	0.2
(iii) प्रजातिवार स्थलवार या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षो की परिगणना।	संलग्न।
(iv)पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि की कार्यकरण योजना का नुस्खा	संलग्न।
4– भूक्षरण के लिए पूर्वेक्षण हेतु उपयोग की जानी वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीर्णता पर संक्षिप्त टिप्पणी	भू–वैज्ञानिक रिर्पोट संलग्न।
5– वनभूमि की सीमा से पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जानी प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी	लगभग 3.00 किमी0
6– वन्यजीव की दृष्टि से पूर्वेक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता	नही।
(i) पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा	नही।
(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, ब्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्व किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका–टिप्पणी उपावद्व की जाय)	नही।
(iii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण्य जैवक्षेत्र आरक्षण, ब्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस किमी0 के भीतर अवस्थित है (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्यजीव वार्डन की टीका–टिप्पणियों उपावद्व की जाय)	नही। मुख्य वन सरक्षक, अनुश्रवण, मूल्याकन, आई0टी0 एव आधुनिकीकरण, देहरादून की पत्र स0 3201–2एल / 1 / 2020 दिनाक 23.07.2021 से केदार नाथ वन्यजीव अभ्यारण्य से सन्निकट हवाई दूरी 25.30 किमी0 जी0आई0एस0 तकनीकी से सन्निकट आकलित की गयी है।
(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक किमी0 के भीतर अवस्थित है, (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्यजीव वार्डन की टीका–टिप्पणियो उपावद्व की जाए)	नही।
(v) क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जन्तु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां है, तो उसके ब्यौरे	नही।

Scanned with CamScanner

7– क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपावद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण–पत्र के साथ उसका ब्यौरा दें।)	नही।
8– पूर्वेक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें।	निम्नानुसार।
(i) क्या भाग–1 के पैरा 6 और 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।	न्यूनतम है।
(ii) यदि नही तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वेक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।	याचिका भूमि न्यूनतम है।
9– किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे:–	
(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्वातों के अतिक्रमण में किसी कार्य की किया गया है (हां/नहीं)	नही।
(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तददायी व्यक्ति के विरूद्व की गई कार्यवाही।	नही।
(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति है (हां/नहीं)	नही।
10– क्षतिपूरक वनरोपण स्क्रीम के ब्यौरे:–	
(i) क्षतिपूरक वनरोपण बढाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।	लागू नही।
(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पाटमेंट या खसरा सं0 क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्योरे दें।	लागू नही।
(iii) क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र के लिए पचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और समीप्य वन सीमाएं संलग्न है।	लागू नही।
(iv) रोपित की जाने वाली प्रजातियो कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्क्रीम के ब्यौरे संलग्न है (हां/नहीं)	परियोजना के आस–पास रिक्त पडे स्थानो पर 100 पौधो का वृक्षारोपण का प्राक्कलन।
(v) क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्क्रीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय:–	प्रस्ताव मे सलग्न।
(vi) क्या क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए प्रबन्धन के दृष्टिकोण से पहचान किए गए क्षेत्र की उपयुक्तिता के बारे मे संवद्व उप वन संरक्षण से प्रमाण–पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)	लागू नही।
11– वनस्पति और जीवजन्तु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधान से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश मे लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सलग्न है। (हा/नहीं)	नही।
12– स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें।	जनहित मे संस्तुति दी जाती है।

(सर्वेश कुमार)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बदीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

स्थान:– गोपेश्वर।
दिनांक– 06-06-2023

Scanned with CamScanner